निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 ज्येष्ठ 1947 (श0)

(सं0 पटना 1067) पटना, शुक्रवार, 13 जून 2025

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अधिसूचना

10 जून 2025

सं० अ0सं0क0–01–23/2018–3225––श्री जटाशंकर पाण्डेय तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सीवान सम्प्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जमुई को उनके कार्यालय में एम०एस०डी०पी० अंतर्गत जिला स्तरीय आई०टी० कोषांग में संविदा के आधार पर नियोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री शैलेश कुमार मिश्रा से उनके संविदा अवधि विस्तार हेतु ₹10,000/–(दस हजार) रूपये मात्र घूस लेते हुये निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक–15.03.2018 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया किये जाने के कारण उनके विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या–010/2018 दिनांक–15.03.2018 अन्तर्गत धारा 7/13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(डी) भ्र०नि०अधि०, 1988 दर्ज किये जाने की सूचना पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पत्रांक–1298/अप०शा० दिनांक–12.04.2018 द्वारा विभाग को दी गयी।

2. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक–216, दिनांक–27.04.2018 द्वारा श्री पाण्डेय को न्यायिक हिरासत की तिथि के प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. श्री पाण्डेय के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्र सं०–605 दिनांक–08.06.2018 द्वारा प्रपत्र 'क' एवं निगरानी विभाग के पत्रांक–1298 दिनांक–12.04.2018 उपलब्ध कराते हुये उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को सम्यक् समीक्षोपरान्त असंतोषजनक पाये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प संख्या–1629 दिनांक–01.10.2018 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त से मामलें की जाँच कराने हेतु विभागीय कार्यवाही सांस्थित की गयी।

4. विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1866 दिनांक–19.08.2019 द्वारा श्री पाण्डेय को निलंबन मुक्त किया गया तथा अधिसूचना संख्या–159 दिनांक–13.09.2019 द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, बक्सर के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया गया।

5. श्री पाण्डेय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई संख्या– 45/18 में विस्तृत सुनवाई, अभिलेख एवं गवाहों का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण के उपरांत आरोपी पदाधिकारी श्री जटाशंकर पाण्डेय, तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सिवान द्वारा श्री शैलेश कुमार मिश्रा संविदा पर नियोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर से सेवा अवधि विस्तार के एवज में ₹ 10,000/–(दस हजार रूपये) रिश्वत की मांग किये जाने एवं लिये जाने संबंधी आरोप को

प्रमाणित पाते हुए प्रधान सचिव–सह–जाँच आयुक्त, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–36/प्र० स० गो० को० दिनांक–15.04.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्रधान सचिव–सह–जाँच आयुक्त द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ''आलोच्य मामले में अभिलेखीय साक्ष्य/तथ्य, साक्षियों के गवाही एवं उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये पक्ष की विवेचना से स्पष्ट होता है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियमों, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का स्पष्टतः उल्लंघन किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी श्री जटाशंकर पाण्डेय, तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सीवान द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3 (1) का उल्लंघन है, का आरोप प्रमाणित होता है।''

6. विभागीय पत्र संख्या–1409 दिनांक–14.05.2024 एवं विभागीय स्मार–पत्र 1585, दिनांक–03.06.2024 एवं स्मार–पत्र सं०–1642 दिनांक–10.06.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री पाण्डेय से लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की मांग की गयी। श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन में अंकित किया है कि जब वे सिवान जिला में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे तब उनके विरूद्ध श्री शैलेश कुमार मिश्रा, तत्कालीन कम्प्यूटर ऑपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, सिवान द्वारा दिनांक–12.03.2018 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना में एक मनगढंत एवं रिश्वत मांगने का झूठा आवेदन दिया गया। दिनांक–15.03.2018 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के ट्रैप टीम के द्वारा उन्हें झूठे ट्रैप केस में ट्रैप कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस प्रकार उनके द्वारा कोई ठोस तथ्यात्मक साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका, जिससे उनकी निर्दोषिता सिद्ध हो सके।

7. श्री पाण्डेय के विरूद्ध संविदा पर नियोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री शैलेश कुमार मिश्रा से सेवा अवधि विस्तार के एवज में ₹ 10,000/–(दस हजार रूपये) रिश्वत की मांग किये जाने एवं लिये जाने संबंधी गठित आरोप, विभागीय जाँच आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री पाण्डेय से प्राप्त लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में आरोपी पदाधिकारी श्री जटाशंकर पाण्डेय, तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सीवान के विरूद्ध आरोप को पूर्णतः प्रमाणित पाया गया है।

8. प्रधान सचिव–सह–जाँच आयुक्त, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा परिवादी का कार्य प्रणाली सही नहीं होने का हवाला देते हुए नियोजन निरस्त करने की सूचना दिनांक–13.06.2017 को दी गई। जब दिनांक–31.12.2017 तक संविदा समाप्त हो चुका था एवं उनकी कार्य प्रणाली सही नहीं पायी गयी थी तो इन्हें दो माह का अवधि विस्तार किन परिस्थितियों में दिया गया एवं इसके उपरांत उनके अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया। यह परस्पर विरोधाभाषी है एवं इससे यह परिलक्षित होता है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा श्री शैलेश कुमार मिश्रा परिवादी से दोहन के उद्देश्य से कार्य प्रणाली सही नहीं होने के बावजूद भी कार्य लिया जाता रहा। अन्ततः आरोपित पदाधिकारी द्वारा रिश्वत की मांग के विरूद्ध परिवादी श्री शैलेश कुमार मिश्रा द्वारा दिनांक–12.03.2018 को पुलिस अधीक्षक–सह–थानाध्यक्ष निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना को एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें श्री जटाशंकर पाण्डेय तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सिवान द्वारा सेवा अवधि विस्तार के एवज में ₹ 10,000/– (दस हजार रूपये) रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया।

9. निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक–15.03.2018 को परिवादी से ₹10,000/– (दस हजार रूपये) रिश्वत लेने के क्रम में आरोपी पदाधिकारी श्री जटाशंकर पाण्डेय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सिवान को उनके कार्यालय कक्ष से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार परिवादी को माह जून 2017 में कार्य प्रणाली सही नहीं होने की नोटिस निर्गत करने के बाद 31 अक्टूबर, 2017 को संविदा समाप्त होने के उपरान्त उन्हें दो माह (1 जनवरी 2018 से 28 फरवरी 2018 तक) का अवधि विस्तार भयादोहन के लिये किया गया था एवं पुनः उनके अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। सह आरोपी पदाधिकारी का यह कृत्य कदाचार की श्रेणी में आता है एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

10. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976, के नियम 3 (1) में प्रावधान है कि हर सरकारी सेवक सदाः– (i) पूरी शीलनिष्ठा रखेगा, (ii) कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा, और (iii) ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिये अशोभनीय हो। श्री जटाशंकर पाण्डेय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सिवान में पदस्थापन के दौरान परिवादी श्री शैलेश कुमार मिश्रा से संविदा अवधि विस्तार के लिये ₹10,000/– (दस हजार रूपये) रिश्वत की मांग की तथा रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़े गये। इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी द्वारा ऐसा कार्य किया गया है जो एक सरकारी सेवक के लिये अशोभनीय है, एवं उनके कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। श्री पाण्डेय के इस कृत्य से सरकार की छवि धूमिल हुई है।

11. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री पाण्डेय का लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए घोर कदाचार एवं कर्त्तव्यहीनता के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 की कंडिका–14 (xi) के अधीन ''सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता होगी'' का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

12. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्र सं0–2674 दिनांक–02.09.2024 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गई, जिस पर आयोग के पत्रांक–14 दिनांक–01.04.2025 द्वारा दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है।

13. श्री जटाशंकर पाण्डेय (अल्पसंख्यक कल्याण सेवा, कोटि क्रमांक–156/2013) तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सिवान सम्प्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जमुई को **''सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'' के दण्ड प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–03.06.2025 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या–03 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।**

11. अतएव श्री जटाशंकर पाण्डेय (अल्पसंख्यक कल्याण सेवा, कोटि क्रमांक–156/2013) तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सिवान सम्प्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जमुई को प्रमाणित आरोपो के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम 14 (xi) के तहत **''सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'' का दंड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है।**

आदेश से,
डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी,
विशेष सचिव–सह–निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1067-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: https://egazette.bihar.gov.in